an>

Title: The Speaker made reference to the 74th anniversary of the 'Quit India' movement launched on the 9th August, 1947 under the leadership of Mahatma Gandhi and paid homage to the Father of the Nation and martyrs who sacrified their lives in the freedom struggle.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपको याद होगा ही कि आज से 74 वर्ष पूर्व इसी दिन 1942 में महात्मा गांधी ने 'भारत छोड़ो' का आह्वान कर ब्रिटिश शासन से देश को मुक्त करने के लिए पूरे राष्ट्र को एक साथ खड़े होने के लिए प्रेरित किया था।

'भारत छोड़ो' आंदोलन स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष के निर्णायक क्षणों में से एक था जिसने हमारे राÂष्ट्र की स्वतंत्रता तथा स्वराज्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान किया था।

इस अवसर पर, हम राÂष्ट्रपिता और उन सभी शहीदों, जिन्होंने स्वतंत्रता संघÂर्ष में अपने जीवन की आहूति दी, कइयों ने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, समर्पित हो गए, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके उच्च आदर्शों के प्रति स्वयं को पुनःसमर्पित करते हैं।

अब सभा, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों की स्मृति में थोड़ी देर के लिए मौन रहेगी।

(The Members then stood in silence for a short while)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: अध्यक्ष महोदया, दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाओं के कारण मैंने एडजर्नमेंट नोटिस दिया है।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, इसे बाद में देख लेंगे। आप विचार कीजिए, तय कीजिए।

All of you have to decide, not me.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, मैं सदन का समय वेस्ट करना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपसे यह कह रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : आप सभी मिलकर डिसाइड कीजिए। I have no objection.

â€¦(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): अध्यक्षा जी, माननीय खड़गे साहब ने जो विष्Âाय उठाया है, वह गंभीर मुद्दा है। सभी विÂषयों के बारे में चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। आज बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग है। इसकी तिथि और समय हम उसमें तय करेंगे।

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Madam, I have given a notice for Adjournment Motion.

HON. SPEAKER: Not now, you may speak in 'Zero Hour'.

11.03 hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER : Q. No. 321, Shri Kalyan Banerjee. क्या बात है! आज तो पहला ही प्रश्न आपका है।

(Q. 321 and 328)

SHRI KALYAN BANERJEE : Madam, Hon. Minister has given a written reply. I have never seen such a cryptic reply of any Ministry in respect of such an important issue. I cannot imagine it. This is not a reply at all!

Madam, for than half a century, the North-East has seen an unending cycle of violent conflicts dominated by insurgency with demands ranging from outright sovereignty to greater political autonomy. Insurgency has taken its toll on thousands of lives, both of security forces and citizens. The roots of insurgency in the North-Eastern region are embedded in its geography, history and a host of socio-economic factors. Ninety-eight per cent of the borders of the region are international borders, pointing out to the region's tenuous geographical connectivity with the rest of India. While the population share is 3.90 crore, a mere three per cent, but from 1951 to 2001, it has increased by 200 per cent.

Madam, there are recommendations of a High Level Commission, contained in its report, for transforming the North-East. These are the recommendations of the Central Government constituted Commission. There are eight recommendations. The North-Eastern Council should be implemented to fill the gaps in infrastructure in the region. A comprehensive framework should be evolved and put in place to promote the region as a preferred investment destination. A Transport Development Fund to finance construction of important road corridors should be set up.

Comprehension and implementation of Look East Policy though relevant for the country as a whole, especially important for the long-term good of the North-East, the agenda for its implementation must be prepared in active association with the State Governments. Rail connectivity has to be developed. Much greater efforts are needed to establish bank branches and other credit disbursement institutions. There should be set up Centres of Excellence for professional and higher education in the North-East. There is a need to make an in-depth study.

In the border areas, there is no fencing in 50 per cent areas till now. My question to the hon. Minister, although I have got a very cryptic answer, is whether the Central Government has gone through all these recommendations made by the High Level Commission in respect of transforming the North-East and taken necessary steps. If the steps have been taken, I would like to know what steps have been taken.

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : अध्यक्ष महोदया, सम्मानित सदस्य ने उत्तर-पूर्व राज्यों के मामले में, देश की सीमा के बारे में चिंता प्रकट की है। यह बात सही है कि वहां पर वर्षों से आतंक की घटनाएं हो रही हैं, अलगाववाद और विद्रोह किया जाता है। उनका प्रश्न था कि वहां पर पड़ोसी राÂष्ट्रों से उन्हें कुछ मदद मिलती है क्या? हमें जो अभी तक जानकारी प्राप्त है, हमारी सरकारी एजेंसियों ने जो जानकारी दी है, उसमें पड़ोसी देशों से इन संगठनों को कुछ आर्थिक मदद या उन्हें उकसाने के कुछ प्रयास होते हैं, यह हमारे सामने नहीं आया है। इसके बावजूद हम मान्य करते हैं कि वहां पर अभी भी घटनाएं होती हैं। लेकिन ये बढ़ रही हैं, इस बात से हम सहमत नहीं हैं। पुराना हमने देखा तो दस सालों से हर घटनाक्रम हर वर्ष कम-कम होता जा रहा है। इन सारी घटनाओं को कम करने के लिए काफी प्रयास चलते रहते हैं। पड़ोसी देश म्यांमार और बांग्लादेश हैं। इन दोनों देशों के साथ हम द्विपक्षीय सम्बन्ध बढ़ाते हैं और चर्चाएं होती हैं। गृह मंत्रालय के द्वारा गृह मंत्री महोदय, गृह सचिव और ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से बार-बार मीटिंग करते हुए दोनों देशों से मदद मांगी जाती है और उन्हें भी मदद दी जाती है। ये दोनों देश भी अलगाववाद की घटनाओं से प्रभावित हैं। इन दोनों देशों से बात करके, जितना भी हो सके हम डिप्लोमैटिक और अपनी एजेंसी के माध्यम से चर्चा बनाए रखते हैं। यह भी कोशिश है कि जितने भी इंडिया के इनसर्जेंट ग्रुप इंडिया के खिलाफ बने हैं, उन सभी की एक्टिविटीज को कम करने का पूरा प्रयास होता रहा है और इसमें हमें काफी सफलता मिल रही है। यह बात सही है कि हम यह नहीं कहेंगे कि हम पूर्ण सफल हुए हैं, लेकिन हमारे प्रयास तीनों देशों की आपसी बातचीत करके किए जाते हैं।

SHRI KALYAN BANERJEE : Madam, since you have given me enough time for asking the first supplementary, I will not take much time in asking my second supplementary. I can promise you. Therefore, I am straightaway coming to the question, without giving any background.

Is it a fact that the Central Government has stopped the Operation All Clear and Operation Golden Bird, joint military operations on the soil of the foreign neighbour countries along the North-Eastern borders to flush out the insurgent and militant camps? If so, what are the reasons? And if not, what are the causes behind the failure of the Government to stop the repeated insurgency in the North-Eastern region of the country?

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : महोदया, मैं अभी बता चुका हूं कि ये सारी घटनाएं देश के लिए घातक हैं। हम उन्हें रोकने का पूरा प्रयास करते हैं। विशेÂषकर यह जो क्षेत्र है, यहां जंगलों की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। यह पहाड़ी क्षेत्र है। हमने अगर सोचा भी है कि हर जगह पर अपनी पुलिस फोर्स लगाई जाए, सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं।

मैंने अभी आपसे कहा था कि पड़ोसी राÂष्ट्र भी इन चीजों से परेशान हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हमें कैसे सफलता मिलेगी। हम सीमावर्ती राज्यों में पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए आर्थिक सहायता करते हैं। आपने पहले प्रश्न में जो कहा था, वहां एजुकेशन, डैवलपमैंट के काम, रोड्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में हम अवश्य अन्य मंत्रालयों से विचार करेंगे। वहां डैवलपमैंट स्पीड बढ़ाने के आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। 'सबका साथ सबका विकास' के चलते प्रधान मंत्री जी काम कर रहे हैं। कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जहां डैवलपमैंट नहीं हो रहा होगा।

मैं बताना चाहूंगा कि असम में अभी जो चुनाव हुए थे, उनमें आतंकी घटनाएं कम हुई हैं। ...(व्यवधान) इसका यह अर्थ समझना चाहिए कि हम उस पर काफी कंट्रोल कर चुके हैं।...(व्यवधान) चुनाव बहुत शान्ति से हुए हैं, यह सबसे बड़ा प्रमाण है।...(व्यवधान) इससे पहले इतना शान्तिपूर्ण चुनाव कभी नहीं हुआ था। सरकार ने पूरा नियंत्रण रखा हुआ है और आगे ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए सरकार जिम्मेदारी से काम कर रही है।

HON. SPEAKER: Shri C.K. Sangma: Q. 328 is your question.

SHRI C.K. SANGMA: Madam Speaker, thank you for giving me the time to put the supplementary.

As you are aware, the North East shares a very large border with Bangladesh – almost close to 4,000 kilometres; out of those 4,000 kilometres, Meghalaya alone shares 443 kilometres. It is a very porous border and we have a huge threat from that aspect.

Recently, as you are aware, Madam, there have been incidents of violence and attack in Bangladesh itself where the ISIS has been responsible for the attack.

My specific first question to the hon. Home Minister is this. In Myanmar, there were joint operations done by the two countries together. Normally, when the operation is done only by one side, the militants keep shifting their camps, so it does not give us success. When we have a joint operation, then we are able to actually neutralize them. So, my specific first question to the Government is together with Bangladesh whether it has decided to for a joint operation so that we can check on militancy from both sides, that is, Bangladesh militants as well as Indian militants who are having camps there. Are we having or are there any joint operations? If not, are we planning to have it?

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : अध्यक्ष महोदया, हमारे सीमावर्ती राज्य विशेÂषकर बंगलादेश की सीमाएं बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। आपने सही कहा कि बंगलादेश की सीमा तकरीबन 4096 किलोमीटर है। म्यांमार की सीमा भी 1600 से अधिक किलोमीटर है। हमने अच्छा अनुभव लिया है कि बंगलादेश के साथ हमारी जो वार्ता चलती है, बंगलादेश में उग्रवादी संगठनों के जो कैम्प लगे थे, हमारे देश से बाहर की सीमा में बंगलादेश में हो या म्यांमार में हो, उन्होंने बंगलादेश के अधिक कैम्प हटा दिए हैं। हमें इसमें उनसे काफी मदद मिली है। हम दोनों देश मिलकर उग्रवाद समाप्त करने का हमेशा प्रयास करते आए हैं और आगे भी प्रयास रहेगा।...(व्यवधान) हमारी वहां 15 बटालियन असम राइफल्स की लगी हुई हैं और बीएसएफ की बटालियन भी लग चुकी है। वहां सुरक्षाकर्मी अच्छा काम कर रहे हैं।

SHRI ASHOK SHANKARRAO CHAVAN : Madam, I would like to know from the hon. Home Minister: does the Government plan to sign an extradition treaty withy the Myanmar Government to ensure that it does not face reversals, like the recent climb down when it had to withdraw its request to Myanmar to handover the top leadership of the National Socialist Council of Nagaland (NSCN)? What action has the Myanmar Government promised in response to Government of India's request for action against insurgents in the listed camps as well as against four top leaders of the NSCN and also terrorists operating against India from Myanmar's soil?

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : अध्यक्ष महोदय, दोनों देशों के बीच मीटिंग होती है, बातचीत चलती रहती है। हम उनसे मदद मांगते हैं और मदद देते भी हैं और इस तरह आपसी सहयोग से वहां जितने भी कैंप हैं उसे हटाने का हमने प्रयास किया है। जिस तरह से बांग्लादेश ने कैंप हटाया है उसी तरह से म्यान्मार सरकार भी कैंप हटाने में हमारी मदद कर रही है। ...(व्यवधान)

SHRI ASHOK SHANKARRAO CHAVAN : Madam, my question was about the Extradition Treaty. I would like to know whether the Government is going to sign an Extradition Treaty with the Myanmar Government. The hon. Minister has not answered my question. ...(*Interruptions*)

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस बात से इंकार किया है कि कोई विदेशी ताकतें वहां पर हस्तक्षेप नहीं कर रही हैं। लेकिन पूर्वोत्तर की जितनी भी अलगाववादी ताकतें हैं उनके पास जितने भी विदेशी हथियार मिलते हैं वे सभी चीन निर्मित होते हैं। समय-समय पर बांग्लादेश और म्यान्मार के अंदर कुछ शिविर होने की सूचनाएं मिलती रहती हैं। क्या मंत्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि बांग्लादेश और म्यान्मार के अंदर शिविर हैं और चीन निर्मित हथियार पूर्वोत्तर के अलगाववादी संगठनों के पास पाए जाते हैं।

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय ने ठीक कहा है कि वहां शिविर में प्रशिक्षण दिया जाता है और वहां पर कैम्प है, हम इस बात से इंकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात बार-बार कही जा रही है कि क्या पड़ोसी देशों से उनको आर्थिक सहायता मिलती है। सरकारी एजेंसी के माध्यम से जो जानकारी मिली है किसी देश के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन वहां पर अवैध हथियारों का मार्केटिंग होता है ऐसी बातें हमारी जानकारी में है। आपने कहा कि चीन के हथियार वहां मिलते हैं, हमने चीन के काफी हथियार जब्त किए हैं। वहां जितने भी संगठन एक्टिव हैं, एनएससी(एन) के चार संगठन वहां काम करते हैं। असम में उल्फा के साथ हमने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन किया है, कई संगठन इसमें लिप्त थे, हमने उनके साथ समझौता करके उनकी एक्टिविटी को रोक लगाने का पूरा प्रयास किया है। जो वहां पर घटनाएं हो रही थीं इसमें काफी कमी आई है। वहां की घटनाओं को कम करने के लिए जो प्रयास चल रहे थे, उसमें वर्ष 2012 में 1025 घटनाएं हुई थी और 2145 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन आज 2016 में इस माह तक 293 घटनाएं हुई हैं और करीब 770 उग्रवादियों को एरेस्ट किया है। वर्ष 2012 में 222 उग्रवादियों को मारा गया था अभी 56 को मारा गया है। इस तरह की घटनाओं में कमी आती जा रही है और इसमें काफी सफलताएं मिल रही हैं। अगर हमें इस तरह की जानकारी मिलेगी कि किसी अन्य देश से वहां मदद मिल रही है तो सरकार उस पर अवश्य कार्रवाई करेगी और इस पर जांच बैठाएगी।

(Q. 322)

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो जवाब मिला है वह मेरी समझ से बाहर का है। मैं झारखंड प्रदेश से आता हूं, पूरे देश में 34 जिले उग्रवाद प्रभावित हैं उनमें से 17 जिले झारखंड प्रदेश के हैं। सरकार का आंकड़ा 24 जिलों में से 17 जिलों का है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा कहना है कि नक्सलवाद के शिकार हुए व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया? झारखंड राज्य का निर्माण दिनांक 15 नवंबर, 2000 को हुआ। उससे पहले झारखंड में जो उग्रवादी घटनाएं घटीं, जब ज्वाइंट बिहार था, तब के बारे में मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी को यह बात जानकर ताज्जुब होगा कि हम लोगों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से और डीजीपी के माध्यम से पत्र दिए, किन्तु उनका जवाब आता है कि बिहार से झारखंड अब अलग हो गया है, इसलिए अब उन्हें नौकरी या मुआवजा बिहार सरकार देगी। हमारा यह कहना है कि मरने वाले के मुआवजे और नौकरी की बात जब आती है, तब राज्य का निर्माण हो गया, तो इसमें मरने वाले का क्या दोÂ०ा है और जहां तक सवाल है कि जो ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न तो पूछिए।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदया, मेरा वही प्रश्न है ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : झारखंड वालों का क्या है, इस बारे में प्रश्न पूछिए।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : जी हां, अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि झारखंड में राज्य निर्माण के पहले उग्रवादी घटनाओं में जिनकी हत्या कर दी गई या जिनकी मृत्यु हो गई ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हां, अब गाड़ी ट्रेक पर आ गई।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उग्रवादी घटनाओं में जिनकी हत्या हुई या मर्डर हो गया, उनकी नौकरी और मुआवजे के 15 नवंबर, 2000 से पहले के कितने केस पेंडिंग हैं और सरकार ने उनके लिए क्या व्यवस्था की है?

श्री हंसराज गंगाराम अहीर: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं, वे ज्यादातर राज्यों से संबंधित हैं। फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि जहां पर इस प्रकार के वामपंथी उग्रवाद की वजह से सुरक्षा कर्मियों की मौत होती है या हताहत होते हैं, या राज्य सरकार के सुरक्षा कर्मियों की मौत होती है या वे हताहत होते हैं अथवा नागरिक मरते हैं या हताहत होते हैं, उनके लिए भारत सरकार द्वारा सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों को फिलहाल हम 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उनके लिए 10 लाख रुपए की बीमा पालिसी भी होती है। किसी-किसी स्टेट में अपने-अपने तरीके से कम या ज्यादा अनुदान उन्हें दिया जाता है।

महोदया, इस प्रकार की घटनाओं में यदि किसी सिविलियन की हत्या होती है, तो उसके लिए भी हम केन्द्र सरकार से एसआरई में 1 लाख रुपए का अनुदान देते हैं और 3 लाख रुपए का अनुदान उन्हें केन्द्रीय योजना में से दिया जाता है। ये अनुदान सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। इनमें हम कहीं कोई कटौती नहीं करते हैं और इस प्रकार का कोई केस सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंडिंग नहीं है।

महोदया, माननीय सदस्य ने राज्य सरकारों का जिक्र किया है और पूछा है कि झारखंड और बिहार के अलग होने के बाद इस प्रकार के कितने केस पेंडिंग हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की हमारे पास कोई सूची नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सुरक्षाकर्मी की ऐसी घटना में मृत्यु हो जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। इस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काफी योजनाएं चलती हैं।

महोदया, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कई राज्य सरकारों की तरफ से ऐसे लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। हमें विभिन्न राज्य सरकारों से जो थोड़ी-बहुत जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड सरकार भी ऐसे प्रकरण में लगभग 10 लाख रुपए देती है और सिविलियन की मृत्यु पर भी 3 लाख रुपए देती है। ये सभी बातें हैं। फिर भी यदि माननीय सदस्य हमें लिखित में कोई स्पेसीफिक केस बताएंगे, तो हम उसके आधार पर राज्य सरकार को लिखकर उन्हें अवश्य न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार द्वारा जो 34 जिले आइडेंटीफाई किए गए हैं, उनमें से 17 जिले झारखंड के हैं, जिनके बारे में मैंने कहा। इनमें माननीय मंत्री जी ने मुआवजे की राशि के बारे में अभी जो उत्तर दिया है कि हम प्रदेश से इस बारे में जानकारी मंगवा लेंगे और देख लेंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं में जिस सिविलियन व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो क्या कोई पैरामीटर तय किए गए हैं कि सिविलियन के लिए 1 लाख रुपए मुआवजा और सुरक्षाकर्मी के लिए 15 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे? इनके लिए अलग-अलग व्यवस्था क्यों बनाई गई है और इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पिछले वर्षÂ०ाल के अगस्त महीने में, 15 अगस्त से पहले झारखंड के बोकारो जिले में उग्रवादियों द्वारा 32 गाड़ियों को आग लगा दी गई, लेकिन आज तक किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला। इसके क्या कारण हैं और उन्हें कब तक मुआवजा दिया जाएगा?

श्री हंसराज गंगाराम अहीर: माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अभी बताया था कि राज्य सरकार ही सिविलियन्स की मदद करती है, इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने तीन लाख रुपए, एक लाख रुपए मुआवजा देने का काम जारी रखा है। हम केंद्र सरकार के कर्मियों की मदद करते हैं। हमारे पास राज्य सरकारों के बारे में जानकारी है, महाराÂष्ट्र सरकार करीब राज्य सरकार के सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु हो जाने पर 25 लाख रुपया देती है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में 15 लाख रुपया देते हैं। ओडिशा में भी दस लाख रुपया दिया जाता है। तेलंगाना में 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए अलग-अलग कैटेगरी में देते हैं।

मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि गाड़ियों का जो नुकसान हुआ है, इसमें इंश्योरेंस कंपनी की बात आती है, अगर देना भी है तो राज्य सरकार को ही देना है। हम निश्चित ही माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करते हैं। केंद्र सरकार इस मुआवजे को बढ़ाने की जरूरत महसूस करेगी तो अवश्य ही इस पर विचार करेगी।

SHRI SIRAJUDDIN AJMAL: Hon. Speaker Madam, thank you for giving me this opportunity. I strongly condemn the BTAD violence where the NDFB faction has killed innocent people. These people were peace-loving citizens; there is gun culture in BTAD. The violence is not new to BTAD. Fifty

thousand people are refugees there who are not given the basic facilities of food and shelter. Neither the State Government nor the Central Government is taking care of them. I would like to ask the hon. Minister whether the Government will assess the agonies faced by these people and their problems of food and shelter and whether they will be given help. If so, when will they be given help? If not, please give the reason thereof.

श्री हंसराज गंगाराम अहीर: माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार के माध्यम से जो योजनाएं दी जाती हैं, हम उसमें कहीं भी कमी नहीं होने देंगे। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनमें राज्य सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकारों को इसमें डायरेक्ट मदद करनी चाहिए। राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार से मदद मांगना चाहती है, अगर मुख्यमंत्री अपील करते हैं या मदद मांगते हैं तो केंद्र सरकार उस पर विचार कर सकती है। हम हर वक्त ऐसे पीड़ितों की मदद करना अपना कर्तव्य मानते हैं जिन पर आपत्ति आती है।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि जो सुरक्षाकर्मी मारे जाते हैं या उस क्षेत्र के जो नागरिक मारे जाते हैं, उनके लिए कम्पेसेशन की व्यवस्था है। मैं यहां यह जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ हूं कि कम्पेनसेशन और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। इस समय सिक्योरिटी रिलेटिड एक्सपेंडिचर के अंतर्गत एक प्रपोजल विचाराधीन है। इसका कैबिनेट द्वारा ही फाइनल डिसीजन हो सकता है। हम सिक्योरिटी फोर्सिस और नागरिकों के लिए कम्पेनसेशन बढ़ाने पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं।

(Q. 323)

श्री उदय प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्हें पर्यावरण और वन संरक्षण की जिम्मेदारी है जो कि इनका पसंदीदा विÂषय है। यह एक वरिÂष्ठ पर्यावरणविद हैं और नदियों के संरक्षण के लिए लंबे समय से काम भी कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली में पर्यावरण की समस्या हमेशा से रही है। वर्ष 1990-91 में तत्कालीन सरकारों ने दिल्ली में पर्यावरण ठीक करने के लिए बायो-डाइवर्सिटी पार्क आदि स्थापित करने की बात शुरु की थी। मास्टर प्लान 2021 के नाम से एक प्लान तैयार हुआ था, अब पांच साल ही बचे हैं लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ है।

दिल्ली में सीवरेज वाटर और वेस्टेज का पानी है। हमने जिस बायो-डाइवर्सिटी पार्क की कल्पना की है, लेकिन यह अभी तक नहीं बने हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सीवरेज आदि का पानी का ट्रीटमेंट करके इस लायक बनाया जाएगा कि पार्कस आदि में इसका उपयोग किया जा सके? इससे जल संरक्षण भी होगा और वह पानी उन पार्कों के निर्माण और उनकी बेहतरी में भी काम आ पायेगा।

श्री अनिल माधव दवे : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा बॉटोनिक गार्डन का प्रश्न पूछा गया है। देश में कुल 14 बड़े गार्डन्स हैं, जिसमें से छः गार्डन्स डी.डी.ए. ने दिल्ली में बनाये हैं। इसके लिए दिल्ली प्रशासन बधाई की पात्र हैं, जिन्होंने ऐसा किया। लेकिन देश में 354 छोटे बॉटोनिक गार्डन्स भी हैं। इसका मूल उद्देश्य है कि अलग-अलग प्रकार की इनडैन्जर्ड स्पीशिज़ को वहां विकसित करना और उन्हें वापस अपने नेटिव क्षेत्र में ले जाकर बसाने की कोशिश करना है। इस बॉटोनिक गार्डन के कारण पर्यावरण अच्छा होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पर्यावरण और अच्छा हो, तो हमें अर्बन एरिया में बायोडायवर्सिटी पार्क की ओर जाना चाहिए। यह राज्य सरकारों का विÂषय है।

जहां तक पानी देने की बात है, तो यदि ट्रीटमैंट प्लांट ठीक से लगेंगे और उसके बाद जो पानी आयेगा, वह पानी बगीचे में, बॉटोनिक गार्डन के विशेÂाज्ञ हैं, जो बॉटनी को जानते हैं, उनको लगता है कि इन विविध प्रकार के पौधों को पानी दिया जा सकता है, तो उसे देने में कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि ये विशेÂा प्रकार के पौधे हैं और हम इनका विकास करते हैं। ये इनडैन्जर्ड होते हैं, यानी इनके खो जाने का भय होता है इसलिए उसका पालन-पोÂषण बहुत संभल कर करना होता है। इसमें जो वैज्ञानिक सुझाव देंगे, उसके आधार पर ही काम किया जाता है। ...(व्यवधान)

श्री उदय प्रताप सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने दिल्ली सरकार और डी.डी.ए. को बधाई दी। मैं एक महत्वपूर्ण विÂाय सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 1990 में सरकार ने बायोडायवर्सिटी पार्कस की बात सोची। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार ने उस समय अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क की कल्पना की, तो उसके लिए लगभग 700 एकड़ भूमि लेने की बात की गयी। आज तक उस भूमि का न अधिगृहण हुआ, न कम्पेनसैशन दिया गया और जो भूमि मिलनी है, वह दूसरों को हस्तांतरित की जाये, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूं कि पांच साल बचे हैं और सरकार ने उस समय जो बायोडायवर्सिटी पार्क की कल्पना की थी, वह पूरी नहीं हो रही।

अध्यक्ष महोदया, मैं एक और महत्वपूर्ण विÂषय आपके माध्यम से सरकार के सामने लाना चाहता हूं कि उसमें सीनियर सिटीजन्स, एक्स इम्प्लायज ने एक सोसायटी बनाई। वहां कुछ निर्माण कार्य भी चालू हुआ था और कुछ भवन भी बन गये थे। उस बायोडायवर्सिटी पार्क के अंदर लॉटरी ग्रुप ऑफ हाउसिंग सोसायटी की जमीन उसमें ले ली गयी, लेकिन उन्हें आज तक कम्पेनसैशन नहीं मिला। उनमें से कुछ बुजुर्ग ऊपर भी चले गये। सरकार ने आज तक उनकी कोई चिंता नहीं की। अगर हम पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो सरकार को कहीं न कहीं इस बात की भी चिंता करनी पड़ेगी कि उसमें जिन लोगों की भूमि गयी है, जिनकी संपत्तियों का नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा देने के मामले में भी सरकार को संजीदा होना पड़ेगा।

श्री अनिल माधव दवे: अध्यक्ष महोदया, कुछ सदस्यों ने बीच में कहा, तो मैं उसे स्पÂष्ट कर देना चाहता हूं कि डी.डी.ए. दिल्ली सरकार का हिस्सा नहीं है। किसी भी अच्छे प्रोडेक्ट को देखकर समझा जा सकता है कि यह उत्पादन कहां का हो सकता है। इसलिए मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर ये अच्छे पार्कस बने हैं, तो उसके लिए दिल्ली के लोग और डी.डी.ए. बधाई के पात्र हैं।

जहां तक अरावली वाला प्रश्न पूछा गया है तो अरावली का बॉटोनिक गार्डन है, वह करीब-करीब बनकर तैयार है। किसी भी समय उसका उद्घाटन हो सकता है। उसकी तैयारियां अभी थोड़ी बाकी हैं। जैसे ही वे तैयारियां पूरी हो जायेंगी, वैसे ही उसका उद्घाटन हो जायेगा।

जहां तक एक्वीजिशन में लैंड का हर्जाना देने का सवाल है, तो राज्य इसमें हर्जाना देने का काम करता है। चूंकि लैंड विÂाय केन्द्र का न होकर राज्य का है। केन्द्र उसमें केवल फंडिंग का एक हिस्सा देता है। वह धन दे दिया गया है, वह विकसित हो रहा है और अब यह दिल्ली सरकार का विÂषय है कि क्षतिपूर्ति के काम को पूरा करें।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, मैं इस विÂषय में आपका संरक्षण चाहूंगा क्योंकि यह मुद्दा आपके राज्य, मेरे राज्य और हमारे मंत्री जी के राज्य के साथ जुड़ा हुआ है।

माननीय अध्यक्ष : इसीलिए अनुमति दे रही हूं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, वर्ष 1995 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सलाह दी थी कि गिर से कुछ शेरों का विस्थापन कुनोपालपुर में किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी इस विÂाय पर आ चुका है, लेकिन पिछले तीन सालों से इस सरकार ने इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया है। शेरों का सेंसस वर्ष 2015 में किया गया था, गिर में 523 शेर पाए गए हैं, जो वहां की क्षमता से भी ज्यादा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : शेर पेड़-पौधे नहीं खाते हैं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, वहां प्रोटेक्शन एरिया सीमित हो चुका है और अब शेर मानव बस्तियों में जा रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि भावनगर और अमरेली में जो बाढ़ आई थी, उसमें दस शेरों की मौत हुई और अगर कोई बीमारी होगी तो पूरे देश के शेर केवल गिर मे हैं, वे पूरे समाप्त हो जाएंगे। यह मुद्दा गुजरात की अस्मिता का मुद्दा नहीं है, यह देश की अस्मिता का मुद्दा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब वहां के मुख्यमंत्री थे, तो इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में आज उनको देश की अस्मिता की सोच रखनी होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कुनोपालपुर पर 60 करोड़ रुपये की राशि व्यय की है, 24 गांवों का विस्थापन भी किया है और वहां जो प्रे-बेस है, 50 एनिमल्स प्रति स्क्वायर फीट है, इसका मतलब है कि यह शेरों के लिए काफी है। माननीय मंत्री जी भी इस विÂाय पर संवेदनशील हैं, लेकिन उन्होंने इसी विÂषय पर 2 अगस्त, 2016 को अनस्टार्ड क्वेश्चन का जवाब दिया था कि आज तक स्थान

परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष : यह एकदम अलग प्रश्न है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, शायद उनके मंत्रालय ने उन्हें यह सूचना नहीं दी कि मध्य प्रदेश सरकार के प्रिंसिपल चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ श्री रवि श्रीवास्तव ने स्वयं पर्यावरण मंत्रालय के रॉय टॉमस, ज्वाइंट डायरेक्टर को मई, 2016 में चिट्ठी लिखी थी कि स्थान परिवर्तन जल्द से जल्द किया जाए।

मैं पूछना चाहता हूं कि उस अनस्टार्ड क्वेश्चन का जवाब देने से पहले क्या आपको यह सूचना प्राप्त नहीं हुई थी? उन शेरों का, 523 नहीं, लेकिन 40 शेरों की सक्षमता कुनोपालपुर में है, उन 40 शेरों का विस्थापन आप वहां कब तक करेंगे? मध्य प्रदेश सरकार और देश की जनता यह चाहती है।

माननीय अध्यक्ष : ये तो बायो डायवर्सिटी दिल्ली से शेरों के मुंह में कूद गए हैं, इनको बचाना हो तो बचाइए।

अनिल माधव दवे: माननीय अध्यक्ष जी, जिस गिर के शेरों की बात हो रही है, वे न बॉटनिकल गार्डन में घूमते हैं, न बायोडायवर्सिटी पार्क्स में घूमते हैं। इसलिए जो मूल प्रश्न है, मेरा यह कर्त्तव्य है कि मैं अपने मूल प्रश्न पर रहूं, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आएं, ज्यादा से ज्यादा सांसदों के प्रश्न कवर हो सकें और उनके जवाब दिए जा सकें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री ज्योतिरादित्य जी, बैठिए। एक तो प्रश्न अलग पूछा है, अब ऊपर से कुछ नहीं बोलेंगे।

मंत्री जी, आप उत्तर देना चाहें तो दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

अनिल माधव दवे: माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको मैं अलग से कभी जवाब दे दूंगा, लेकिन यहां इतना कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा पूछा गया पूरक प्रश्न मूल प्रश्न की परिधि से बाहर है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : टोटली अलग है।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, ज्योतिरादित्य जी, ऐसा नहीं करते। बैठ जाइए। Nothing will go on record. This is not the way. I am sorry.

...(*Interruptions*) *â€¦ **

माननीय अध्यक्ष : ज्योतिरादित्य जी, क्या हो रहा है? क्या हो गया, आज कहां झगड़ा करके आए हो।

â€¦(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

*â€¦(Interruptions)â€¦ **

SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL): Thank you, Speaker Madam.

Tamil Nadu ranks first amongst all the States in the country in protection and conservation of bio-diversity. ...(*Interruptions*) In Tamil Nadu, bio-diversity conservation and greening project at a cost of Rs. 686.28 crore was initiated by hon. Chief Minister of Tamil Nadu *puratchi thalaivi amma*. ...(*Interruptions*)

Bio-diversity in Tamil Nadu is a treasure house with great combination of fauna and flora including medicine plants. ...(*Interruptions*) Bio-diversity parks are vital to meet the social, economic, ecological, cultural, recreational and spiritual needs of the present and future generations. ...(*Interruptions*) I would like to know whether the Union Government has come forward to provide funds to promote bio-diversity parks in Tamil Nadu from the Central scheme as well as from the external funding agencies.

श्री अनिल माधव दवे : माननीय अध्यक्ष जी, जिस बॉयोडाइवर्सिटी पार्क की बात हो रही है, यह शुद्ध रूप से राज्य का विÂषय है। राज्यों को विकसित करना है। यहां मैं बॉयोडाइवर्सिटी पार्क और बॉटेनिकल गार्डन के बीच का अंतर स्पष्ट करना चाहता हूं। बॉयोडाइवर्सिटी पार्क सामान्यत: शहरों के बीच में विकसित किये जाते हैं और वे शहर की ऑक्सीजन का लंग्स होते हैं। कोशिश करके एक ऐसे जंगल के रूप में होते हैं जिसके अंदर कोई नहीं जाएगा और वहां से कोई कांट-छांट नहीं होती है, जिसको हम वर्जिन फॉरेस्ट कहते हैं। करीब-करीब वैसा ही बॉयोडाइवर्सिटी पार्क होता है। इस प्रकार के पार्क हम लोग जब विदेशों में जाते हैं तो हम वहां देख सकते हैं।

हमारे देश में भी अर्बन डवलपमेंट के अंदर कई शहरों में यह हो रहे हैं। यह राज्य का विष्Âाय है, लेकिन यह हमें आपके माध्यम से सभी सदस्यों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र के अंदर कोई अच्छा विज्ञान का महाविद्यालय हो, यूनिवर्सिटी हो जहां बॉटनी विषय की बहुत अच्छी फैकल्टी हो। आप इस मंत्रालय को लिखिए, यह मंत्रालय एक-दो एकड़ भूमि, अगर कॉलेज के पास है तो बौटेनीकल गार्डन बनाने के लिए राशि देता है और बॉटेनीकल गार्डन और उस बॉटनी के विद्यार्थी के लिए उतना ही जरूरी है जितना चिकित्सा महाविद्यालय के साथ चिकित्सालय होना जरूरी है। जो पढ़ाया जा रहा है, वह प्रैक्टिकली अस्पताल में आकर चिकित्सक करता है। उसी तरह से जो बॉटनी का विÂषय पढ़ाया जा रहा है, वह विÂषय वह बाहर कॉलेज कैम्पस के अंदर बॉटेनीकल गार्डन में आकर देखेगा तो उसको सीखने और समझने में मदद मिलती है और स्कूल के बच्चे घूमने के लिए बड़े आनंद से बॉटेनीकल गार्डन में आते हैं।

SHRI ANIL SHIROLE : Has the Government considered having a common set up for forestry, social forestry, wild life, biodiversity, etc. at the ground level so as to improve the efficiency of the organization and if so, the results thereof and if not, the reasons therefor in view of the complementarity of their objectives and overlapping territories involved in many cases?

श्री अनिल माधव दवे : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सांसद बहुत सारे विÂषयों को एक में मिला रहे हैं, चूंकि यह विÂषय शुद्ध रूप से बॉटेनीकल गार्डन के ऊपर था और यह विÂषय शुद्ध रूप से बॉयोडाइवर्सिटी पर था, अगर उनके मन में इस विÂषय पर कुछ है तो वे अलग से प्रश्न पूछेंगे या लिखित में मुझसे कुछ प्रश्न करेंगे तो मैं उसका लिखित में जवाब दूंगा और लिखित में शेर भी आ जाएगा और बाकी सारी बातें भी आ जाएंगी।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारा बहुत गंभीर मामला है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : शेर का नहीं पूछिए। शेर को छोड़कर पूछिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : यहां तो बब्बर शेर की बात की जाती थी। हम तो केवल शेर की बात कर रहे हैं।...(व्यवधान) अरे, शेर आ जाएंगे। चिंता मत करिए।...(व्यवधान) ये गुजरात के नहीं हैं। मध्य प्रदेश के शेर गुजरात के लिए काफी हैं।...(व्यवधान) मध्य प्रदेश के शेर यहां भी बैठे हुए हैं। ...(व्यवधान) ये भी मध्य प्रदेश के हैं।...(व्यवधान) हम आपसे डरते नहीं हैं। वहां 280 हैं, यहां 44 भी हैं। चिंता मत करिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ज्योतिरादित्य जी, आज क्या हो गया? बैठिए।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न शेरों पर नहीं है। कहां जा रहे हैं?

â€¦(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले प्रधान मंत्री श्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जब वह मुख्य मंत्री थे, तो अखिलेश ने और हमने आपसे शेरों की मांग की थी। जितने हमने शेर मांगे तो उतने उन्होंने हमें शेर दे दिये और सारी सुविधाएं- डॉक्टर भी लगा दिया। जमुना के किनारे तमाम जमीन है, चारों तरफ खुला हुआ एरिया है और अच्छी घास है। जो इसमें एक्सपर्ट हैं, उन सब लोगों से राय लेकर हमने शेर ले लिये, लेकिन अब हमारे दो शेर मर गये।...(व्यवधान) यह हंसने की बात नहीं है। यह गंभीर बात है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि बहुत अच्छे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स को दिखवा दीजिए कि उन शेरों के मरने का क्या कारण है? ...(व्यवधान) शेर राÂष्ट्रीय जानवर है। ...(व्यवधान) यह गंभीर मामला है। हमारे दो शेर मरे हैं। इसलिए मंत्री जी, आप कृपया इस मामले की जांच करा दीजिए कि उनके मरने का क्या कारण है? अगर हमारी तरफ से गलती हुई है तो हम सुधारेंगे, लेकिन आप जांच करवा दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप जांच का आश्वासन दे दें।

â€¦(व्यवधान)

श्री अनिल माधव दवे : माननीय अध्यक्ष जी, पिछले पन्द्रह मिनट से शेर इस समय किसी ग्लेमरस चीज जैसा हो गया है। ...(व्यवधान) लेकिन चूंकि मुलायम सिंह जी का मैं बड़ा आदर करता हूं, वह समाजवादी नेता हैं और लोहिया का अगर इस समय कोई वाहक है तो आज वही हैं। वे गंभीरता से यह बात कह रहे हैं कि दो शेरों की मृत्यु हुई है और उसकी जांच होनी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा और इसकी जांच कराएंगे कि किस कारण से उनकी मृत्यु हुई है? अगर यह संभव हुआ और अगर समय बहुत ज्यादा हो गया और 'बिसरा' नहीं मिला तो उसके लिए कठिन है। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ निश्चित परिस्थितियों के अंदर ही कुछ निश्चित चीजें होती हैं और पनपती हैं, इसीलिए यह कहा गया कि जो एनडेंजर्ड स्पेसी होती है, वो वही रहती है। आपने इस विÂषय की ओर मेरा ध्यान आकर्Âिषत कराया है, मैं उसको करने की पूरी कोशिश करूंगा और I will revert back to you.

(Q.324)

डॉ. संजय जायसवाल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने विÂषय से बाहर नहीं जाऊंगा। प्रधान मंत्री जी का बिल्कुल साफ सिद्धान्त है कि विकास वही है जो गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच सके और वनों का ज्यादा से ज्यादा बनना गरीबों और आदिवासी भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कमिट किया है कि वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन एवं वृक्ष आवरण सृजित करके ढ़ाई से तीन बिलियन टन कार्बन-डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन का सृजन करना भी भारत के आई. एन.डी.सी. का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अतिरिक्त वन एवं वृक्ष, जबकि स्थिति यह है कि रिमोट सेंसिंग से देखा गया है कि पिछले दस सालों में हमारा वेस्ट लैंड बहुत बढ़ गया है। पिछली सरकार ने उसके बारे में भी एक कोशिश की थी। उन्होंने एक ग्रीन इंडिया मिशन बनाया था। इसमें 13000 करोड़ रुपये का कोर फंड दिया था और केवल 150 करोड़ रुपये ही दिये थे। पेरिस एग्रीमेंट में अभी हम लोग बिल्कुल हीरो बनकर निकले हैं, जो कौप-21 हुआ था, लेकिन जब पेरिस एग्रीमेंट का वर्ष 2018 में रिव्यू होगा और इस पर अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आई.एन.डी.सी. में वर्णित 14वें फाइनेंस कमीशन ग्रान्ट के अनुसार वÂाऩ 2015-16 से यू.एस.डॉलर 6.9 बिलियन से शुरु होकर वर्ष 2019-20 तक यू.एस डॉलर 12 बिलियन वनों के संवर्धन के लिए, राज्यों को अतिरिक्त ट्रांसफर के प्रावधान के विरुद्ध जो किया गया था, उसमें अभी तक क्या प्रगति हुई है? यह प्रगति संतोÂषजनक है कि नहीं है और इसके लिए मंत्रालय क्या कठोर उपाय कर रहा है और इसके लिए कौन सा मोनीटरिंग मैकेनिज्म है?

श्री अनिल माधव दवे : माननीय अध्यक्ष जी, यह पूरा प्रश्न इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कांट्रिब्यूशंस हैं, आई. एन. डी. सी. जिसे कहा जाता है, पेरिस में हमने जो कुछ कमिट किया है, बात यह हो रही है कि वर्ष 2005 के मानक को मानते हुए, वर्ष 2020 तक और वर्ष 2020 से लगाकर वर्ष 2035 तक हम कार्बन एमिट करने की मात्रा को कम करेंगे और इस डयूरेशन में जो बढ़ेगी, उसको हम कैसे कम करेंगे, उसके लिए हमने जिस ग्रीन इंडिया मिशन का नाम लिया, उसके अतिरिक्त सभी विभाग जो अलग-अलग हैं, एग्रो-फॉरेस्ट्री, रेलवे फॉरेस्ट्री, रोड-फॉरेस्ट्री, सी-शोर फॉरेस्ट्री, ये सारे वे एरियाज हैं कि हम हमारा ग्रीन कवर बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए इसके पहले के प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा कि अर्बन डवलपमेंट में भी हमें कहीं न कहीं बॉयोडाइवर्सिटी पार्क की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि वैसे हम लक्ष्य से आगे चल रहे हैं। वर्ष 2012 के अंदर वर्ष 2005 के स्लैब के अनुसार हमने वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

वर्ष 2020 तक हम पूरा लक्ष्य प्राप्त करने वाले हैं। वर्ष 2018, वर्ष 2019 या वर्ष 2020, जब भी दुनिया के किसी भी शहर में इसका जवाब देने के लिए खड़े होंगे तो हम डंके की चोट पर कहेंगे कि भारत ने लक्ष्य पाया है, लक्ष्य पाने वाले लोग दूसरे होंगे, हम नहीं हैं। लेकिन यह यात्रा कठिन है। जैसे कैम्पा का पैसा अब जाना शुरू हुआ है, यह आठ साल के बाद में जाना शुरू हुआ है तो विदेशों का जो कमिटमेंट ग्रीन फंड के अंदर है, कैम्पा का पैसा और अलग-अलग प्रकार से जो राशि इसके अंदर जाने वाली है, इसका रास्ता थोड़ा कठिन है, उसको सुलझाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम उसमें कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्यों को वह फंड पहुंचे और राज्य उन फंडों को ठीक से वनों के विकास के लिए लगाए और दूसरे जो अन्य मानक हैं क्योंकि हम ने उसके लिए वर्ष 2020 से वर्ष 2030-2035 के लिए छः कमेटियां बनाई है, उनके लिए अलग-अलग मंत्रालय काम कर रहे हैं तो इस प्रकार से फंड और उसका मार्ग और उसके लक्ष्यों के अंदर भारत इस समय जो कमीट कर चुका है, उससे दो प्रतिशत आगे ही चल रहा है।

माननीय अध्यक्ष : आप सेकेण्ड सप्लिमेंट्री प्रश्न पूछिए।

डॉ. संजय जायसवाल : अध्यक्ष महोदया, उन्होंने पैसे के बारे में नहीं बताया कि यह 6.9 बिलियन डॉलर कहां से आयेंगे?

मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमारे देश में 216 मिलियन टन वूड फ्यूल प्रति वर्ष जलाया जाता है, जिसमें कार्बन एमीशन के साथ डीफोरस्टेशन भी होता है। वूड फ्यूल बायोएनर्जी में एफिशिएंसी लाने के लिए, खास कर बिजली उत्पादन के लिए, प्राइमरी एनर्जी की खपत कम करने के लिए कनाडा, यू.एस. और स्विटजरलैंड में बहुत सारे डेवेलप कंट्रीज में आर. एंड डी. करके बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है।

अध्यक्ष महोदया, मैंने अपने सांसद आदर्श ग्राम योजना में केवल एक सिरेमिक चूल्हा देने से लोगों द्वारा उपयोग की जा रही लकड़ी में 40 प्रतिशत की कमी हो गई है। क्या हमारी सरकार भी इस तरह से कुछ कर रही है? फॉरेन से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके या रिसोर्स मोबलाइजैशन करने के लिए, इन सब कामों के लिए वूड फ्यूल कम से कम जले, इसक लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, मैं इसके बारे में मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

श्री अनिल माधव दवे : अध्यक्ष महोदया, जहां तक माननीय सदस्य ग्रीन इंडिया मिशन और जिस राशि की बात कर रहे थे, अभी तक हम 70.14 करोड़ रुपये दे चुके हैं। कैम्पा का फंड जाने वाला है। जैसे ही नियम और उपनियम बन जायेंगे, वह चला जायेगा। यह जरूर है कि वर्ल्ड के अलग-अलग इंस्टिट्यूट्स से जो पैसा आना है, अभी वह उस गति से नहीं आ रहा है, जिस गति से उसे आना चाहिए। लेकिन उस दिशा में भी हम प्रयत्नरत हैं। आपने चूल्हे की ओर ध्यान दिलाया है। इस देश में लकड़ी जलाने की मात्रा धीरे-धीरे कम हो रही है। लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है, उसके कारण गैस के

चूल्हे गांव में पहुंच रहे हैं। उन्नत चूल्हों का विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पेरिस के अंदर एक अनूठी पहल की है, उन्होंने कहा कि कर्क रेखा से ऊपर जो गर्म देश हैं, जहां 10 महीने से ज्यादा तीखी धूप रहती है, ऐसे 122 देशों का उन्होंने एक ग्रूप बनाया। उन्होंने कहा कि हम सभी के प्राकृतिक रिसोर्सेज वही हैं, जो मेरे पास है, वह आपके भी पास है तो हम सभी मिल कर सोलर के मामले में अगर कोई बड़ी पहल करेंगे। मुझे लगता है कि इसके लिए हमें ही रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कोल्ड कंट्रीज में सूर्य दीखते ही नहीं हैं, तो वे क्यों यह करेंगे? वे भी अलग-अलग माध्यमों से आत्मनिर्भर हैं। सूर्य के मामले में तेज गति से अनुसंधान करके, हम उसके अंदर वही क्रांति का स्वप्न देख रहे हैं, जो मोबाइल के कारण पूरे देश के अंदर, दूरसंचार के माध्यम से आई है। आज से 25 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जेब में ऐसा संयंत्र रहेगा, जिससे देश भर के सारे लोग बात कर लेंगे। लोग ट्रंक कॉल पर ऊंची-ऊंची आवाज में बात करते थे। लेकिन 25 सालों में तकनीक ने यह परिवर्तन कर दिया। सोलर एनर्जी में स्टोरेज, कलेक्शन और उसकी उपयोगिता, इसके ऊपर वैज्ञानिकों का अनुसंधान उतना नहीं हो पाया है, जितना प्रायोगिक रूप से होना चाहिए। जैसे ही वह हो जायेगा, तो देश के अंदर और विकासशील देशों में सोलर एनर्जी के माध्यम से लकड़ी जलने वाली विÂाय को करीब-करीब समाप्त कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष : के.सी. वेणुगोपाल जी, आप प्रश्न से संदर्भित पूरक प्रश्न पूछिए। अपने पड़ोसी पर नहीं जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उनका असर इनके ऊपर पड़ता है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : लगता है कि मध्य प्रदेश में कोई शेर घुस गया है।

â€¦(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL : Madam Speaker, climatic change is a major area of concern, especially due to climatic changes there are a lot of unnatural phenomenon which have been reported in the sea coast of the country, particularly in the State of Kerala.

In the name of climate change and other things, the laws made by the Government have become a hurdle for the poor people. For example, I may talk about the CRZ law. I raised this issue many times in this House. The Government of India and the Government of Kerala are giving money to construct houses for fishermen but due to CRZ norms, they are not in a position to construct small dwelling houses. Just like tribals have their right over forest area, I think, fishermen have their right over the sea area. Therefore, will the Minister think of amending the CRZ law in favour of the poor fishermen?

श्री अनिल माधव दवे : अध्यक्ष महोदया, इस प्रश्न के दो हिस्से हैं। इसका पहला हिस्सा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो बदलाव समुद्र के व्यवहार में हो रहा है। समुद्र का तापमान 0.9 प्रतिशत के आधार पर यानी एक डिग्री बढ़ा है। पैरिस में हमने दो डिग्री पर कम्प्रोमाइज किया है। अगर विश्व का दो डिग्री तापमान क्लाइमैटिक चेंज में बढ़ता है, तो विश्व का सबसे छोटा टापू देश टुवालू, जो न्यूजीलैंड से ईस्ट और नार्थ के बीच में है, वह सबसे पहले वह डूब जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि दो डिग्री का भी हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समुद्र किनारे रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें सबसे ज्यादा हानि होने वाली है।

माननीय सदस्य का जो दूसरा विÂषय है, वह सी.आर.जेड. से संबंधित है। समुद्र के किनारे रहने वाले मछुआरों को अपने घर बनाने, मछली को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट आदि के लिए सी.आर.जेड. के अंदर कई प्रकार की तकलीफें हैं। ये तकलीफें मछुआरों को भी हैं और समुद्र किनारे रहने वाले शहरीय समाज को भी हैं। विशेÂषकर जैसे मुम्बई को रोड चाहिए, केरल को चाहिए, गोवा की अपनी समस्याएं हैं, तमिलनाडु की अपनी समस्याएं हैं। मैं सी.आर.जेड. पर पूरी तरह विचार करके जो भी व्यावहारिक निदान होगा, उसे बहुत निकट भविÂष्य में देश के सामने रखा जाएगा। हम चाहते हैं कि ओडिसा का वह महत्वपूर्ण हिस्सा, जहां कछुए हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं और वहां ब्रीडिंग करते हैं। जो इंटरनेशनल हैरिटेज साइट्स हैं, वे भी प्रिजर्व हों और मछुआरों के हितों की भी सुरक्षा की जाए। ऐसा संतुलित सी.आर.जेड. के अंदर क्या हो सकता है, इस बारे में विचार चल रहा है।

(Q.325)

श्री भैरों प्रसाद मिश्र: माननीय अध्यक्षा जी, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। यहां गरीबी तथा बेरोजगारी का प्रतिशत भी काफी ज्यादा है। राÂष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष, 2013 में लागू किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में ढाई वÂान बाद जनवरी, 2016 में लागू किया गया। इसके बावजूद सात महीने का समय निकल गया है, लेकिन अभी तक पूरे प्रदेश में और विशेÂाकर मेरे बुंदेलखंड के सभी जिलों में आनलाइन करने के बाद भी किसी को राशनकार्ड नहीं मिल पाया है। अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त स्टाफ एवं तंत्र नहीं है, इसलिए इस कार्य को करने में बहुत समय लगेगा।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार यह योजना उत्तर प्रदेश में ढाई साल बाद क्यों लागू की गई है? कुल तीन वर्ष के करीब हो गए हैं, लेकिन अभी भी राशन कार्ड लोगों को नहीं मिले हैं। लोगों को कब तक राशन कार्ड मिलेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को समय पर लागू क्यों नहीं किया है? क्या इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई स्पÂष्टीकरण दिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर.चौधरी) : महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा समसामयिक और आवश्यकता के अनुरूप प्रश्न पूछा है। भारत सरकार द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ओवरआल होल कंट्री 75 परसेंट रूरल और 50 परसेंट अर्बन पापुलेशन को कवर किया है। इन्हें खाद्यान्न बहुत ज्यादा सब्सिडाइज्ड रेट पर दिया जा रहा है। आपका प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सैंट्रल गवर्नमेंट का काम इस योजना के तहत अनाज को राज्यों तक पहुंचाना है। अनाज का डिस्ट्रिब्यूशन करना या राशन कार्ड आदि बनाना, यह सारा राज्यों का मैटर है। यह काम स्टेट को करना पड़ता है। यह आर्डिनेंस पहले 5 जुलाई, 2013 को कांग्रेस सरकार के समय में आया था। 10 सितम्बर, 2013 को एक्ट के रूप में आया। इसके पश्चात् सारे राज्यों को आग्रह किया गया कि आप इसे अपने यहां इम्प्लीमेंट करें। 5 जून, 2014 तक केवल 11 राज्यों ने इसे अडाप्ट किया और अपने यहां लागू किया। इसके पश्चात् एडवाइजरी, सलाह, रिक्वेस्ट केंद्र द्वारा राज्यों को भेजी जाती रही है और आज की तारीख में 34 राज्यों ने इसे लागू कर दिया। मात्र तमिलनाडु, केरल प्रोसेस के अंदर हैं।

जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी, 2016 को इसे लागू किया है। केवल उत्तर प्रदेश ही अकेला ऐसा राज्य नहीं है, जिसने इस योजना को देर से लागू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि 69.6 परसेंट रूरल और 64.5 परसेंट अर्बन पापुलेशन को कवर करना है। दुर्भाग्यवश सभी को कवर नहीं किया गया है। आज की तारीख में इनके पास 84 लाख इनके पास सब्सिडाइज्ड लोगों का चयन करना इनके जिम्मे है, जो अभी तक इन्होंने नहीं किया है। मंत्रालय की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को कहा जाएगा कि कृपया इस काम को करें। राज्य सरकार को हर समय अनाज देते रहे हैं, अनाज की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जितना मांगा है, उतना दिया जा रहा है। 84 लाख लोग कवर होने चाहिए, वे नहीं हो पाए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार से पुनः अनुरोध किया जाएगा कि इस काम को करें।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री राजेश रंजन, जय प्रकाश नारायण यादव, कौशलेन्द्र कुमार, पी. करूणाकरन, दुÂयंत चौटाला, शैलेश कुमार, कोडिकुन्नील सुरेश, प्रो. सौगत

राय, एन.के. प्रेमचन्द्रन, मल्लिकार्जुन खड़गे, ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, के.एच. मुनियप्पा, राजीव सातव, के.सी. वेणुगोपाल, संतोख सिंह चौधरी और रवनीत सिंह से विभिन्न मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं।

यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं तथापि इनके लिए आज के कार्य में व्यवधान डालना अनिवार्य नहीं है। ये मामले अन्य अवसरों पर उठाये जा सकते हैं।

अतः मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की है।

12.02 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE